संख्या-4970/69-1-2001-01(एस.जे.)/97

प्रेषक,

श्री एस0 आर0 लाखा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊ: दिनाँक- 15 दिसम्बर, 2001

विषय : **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की उपयोजना कम्युनिटी स्ट्रेक्चर का कार्यान्वयन।**

महोदय,

केन्द्र पुरोनिधानित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के सुचारू व सफल कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर मार्ग निर्देश निर्गत किये गये है। योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत स्पष्ट मार्ग निर्देशों के उपरान्त भी स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न घटकों में आशातीत प्रगति नही हुई है। शासन सतर पर समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि जनपद स्तर पर कुछ मदों में लम्बे अंतराल से धनराशि अनुपयोगित पड़ी हुई ह, जिसके उपयोग के सम्बन्ध में अधिकांश जनपदों में सार्थक प्रयास नही किये जा रहे है। योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार से प्राप्त धनराशि का समयान्तर्गत उपयोग न करने तथा शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने पर भारत सरकार द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुये आदेश दिये गये है कि जब तक योजना के समस्त घटकों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का व्यय सुनिश्चित करते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र सरकार के उपलब्ध नही करा दिये जाते है तब तक केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किया जाना सम्भव नही होगा।

उपर्युक्त के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की उपयोजना कम्यूनिटी स्ट्रक्चर पद में बड़ी मात्रा में धनराशि अनुपरागित पड़ी हुई है। अत: अनुपयोगित उक्त धनराशि का तत्काल उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्यूनिटी स्ट्रक्चर मद के अन्तर्गत सी.डी.एस. के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त करते हुये जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त शहरी क्षेत्र में विशेषतया मलिन बस्तियों की आवश्यकता के आधार पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये सामुदायिक कार्य यथा-सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक केन्द्र, मण्डप, स्कूल भवन, रैन बसेरा इत्यादि का निर्माण कराया जा सकता है। पुन: स्पष्ट किया जाता है कि सी.ई.एस. के प्रस्ताव में यह उल्लेख किया जाना अति आवश्यक है कि कम्युनिटी स्ट्रक्चर मद से यह कार्य किया जाना स्थानीय समुदाय की निर्माण क्षमता वृद्धि (कैपेसिटी बिल्डिंग) के लिये आवश्यक है। तद्नुसार उक्त योजनान्तर्गत नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर लोक निर्माण विभाग की मानक दरों पर कार्य कराकर प्रगति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एस.आर.लाखा

सचिव

संख्या-4979/69-1-2001-01(एस. जे.)/97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया समय-समय पर समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित प्रगति से अवगत कराये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता उचित नहीं होगी।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि मण्डल स्तर पर इसकी समीक्षा करना सुनिश्चित किया जाये

3. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

4. श्री के. आर. मोहन, अवर सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में अवलोकनार्थ।

5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

एस. आर. लाखा

सचिव